आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.12.2023	**वाद संख्या–34/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के प्रतिनिधि के रूप में श्री विकास कुमार वर्मा, सहायक गोदाम प्रबंधक, बगोदर आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता ने अपना लिखित प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया है। शिकायतकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि पिछली सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया प्रतिवेदन भ्रामक और तथ्यहीन है। शिकायतकर्ता ने बिन्दुवार तरीके से जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई जाँच और दावे को गलत प्रमाणित किया है। शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को प्रेषित प्रतिवेदन की एक प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि को हाथो–हाथ उपलब्ध कराते हुए निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण पेश करें और यह भी बताएँ कि क्यों नहीं आयोग उनके खिलाफ गलत जानकारी देने के आधार पर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करे ? मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx141	